न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– **आशीष श्रीवास्तव,**
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक 1338–दो/13 विरूद्ध आदेश, दिनाक 6–10–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 610/निग0/10–11.

1 श्री इन्द्रजीत तनय श्री सुदर्शन गौतम उम्र 75 वर्ष
निवासी ग्राम पिण्डरा तहसील मझगवां जिला सतना म0 प्र0
2 श्री शिवकुमार गौतम तनय श्री इन्द्रजीत गौतम उम्र 55 वर्ष
निवासी ग्राम पिण्डरा तहसील मझगंवा जिला सतना म0 प्र0

.........आवेदकगण

विरूद्ध

भैरम नाई तनय श्री सुद्धा नाई उम्र 65 वर्ष
निवासी ग्राम पिण्डरा तहसील मझगंवा जिला सतना म0 प्र0

........अनावेदक

श्री सत्येन्द्र सिंह अभिभाषक, आवेदकगण
श्री विनोद सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10-12-2015. को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 1338--दो/13 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा के प्रकरण कमांक 610/निगरानी/10–11 में पारित आदेश दिनांक 6–10–2012 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम पिण्डरा में गैर निगराकार के स्वामित्व की आराजी नंबर 3196 मद आबादी है । लगभग 40 वर्ष पूर्व उक्त आराजी में उभयपक्षों द्वारा

शामिल शरीक कुंआ खुदवाया गया । उस कुएं से उभयपक्ष पानी का निस्तार करते चले आ रहे थे । उभयपक्ष के कुये के पास ही मकान बने हुये है । इस संबंध में दिनांक 13–3–71 को उभयपक्ष पक्षकारों के मध्य एक अपंजीयत इकरारनामा हुआ था, तथा दिनांक 4–2–2010 को उभयपक्ष के लोगों के हस्ताक्षर से ग्रामवासियों के समक्ष एक समझौता हुआ था । तदुपरान्त इन्द्रजीत के पक्ष द्वारा कूप की जगह को काटकर नवीन लैट्रीन एवं बाथरूम का निर्माण किया जाने पर, भैरम के आपत्ती आवेदन पर तहसीलदार मझगंवा के प्रकरण कमांक 06 / ए70 / 09–10 उद्भूत हुआ, जिसमें मौका जॉच पर कूप के निकट भैरम द्वारा पिलर निर्माण कराना भी पाया गया तथा जिसमें पारित आदेश दिनांक 9–4–10 के माध्यम से भैरम को पिलर हटाने तथा इन्द्रजीत के पक्ष को लैट्रीन हटाने तथा दोबारा लैट्रीन न बैठाने के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए आदेशित किया गया । इसके बाद भैरम ने तहसीलदार को शिकायत की इन्द्रजीत के पक्ष द्वारा आदेश दिनांक 9–4–10 का उल्लंघन किया जा रहा है । इस पर मौका जॉच में यह पाया गया कि इन्द्रजीत के पक्ष द्वारा कूप के चारों ओर लगभग 9 फीट ऊँची दीवार बना ली गई है, जिससे भैरम के परिवार की राजमति बे0 रामकिशोर के घर का दरवाजा (जो कि उसके घर का मुख्य दरवाजा नहीं था) बन्द हो गया है । इस शिकायत के उपरान्त तहसीलदार द्वारा समसंख्यक प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12–10–10 में इस दीवार को अवैध पाया तथा यह भी पाया कि इन्द्रजीत के पक्ष ने लैट्रीन की जगह बाथरूम बना लिया है तथा लैट्रीन का गढढा अपने आंगन में तैयार किया है, साथ ही इन्द्रजीत के पक्ष को यह दीवार हटाने का आदेश दिया । तहसीलदार के इस आदेश दिनांक 12–10–10 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मझगंवा के समक्ष अपील हुई, एवं प्रकरण कमांक 8 / अपील / 10–11 में पारित आदेश दिनांक 23–5–11 में अनुविभागीय अधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया कि चूंकि कूप इन्द्रजीत के पक्ष की भूमि पर बना है, अतः अपनी आराजी की भूमि पर इन्द्रजीत के पक्ष को सुखाचार का प्रबंधन करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, किन्तु उन्हें (इन्द्रजीत आदि को) इस बात के लिए स्वतंत्र भी नहीं किया जा सकता कि उनके किसी निर्माण / गतिविधि से अन्य व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाए । साथ ही, उन्होंने तहसीलदार के आदेश की इन्द्रजीत आदि द्वारा अवहेलना को उचित नहीं ठहराया । इन आधारों पर

अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–10–10 में आंशिक त्रुटि पाकर उसे निरस्त किया तथा प्रकरण तहसीलदार को निर्देश देते हुए प्रत्यावर्तित किया ।

अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध भैरम के आवेदन पर अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 610 / निगरानी / 10–11 दायर हुआ, जिसमें पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 6–10–12 में दिनांक 3–3–71 के इकरारनामें एवं दिनांक 4–2–10 के समझौते का हवाला लेते हुए यह लिखा गया कि "उभयपक्ष के पूर्वजों ने जो वचनबद्धता एवं आपसी मधुरता से निर्णय लेकर कुआं बनाया उसे बनाये रखा जाना चाहिए" तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 23–5–11 निरस्त करते हुए तहसीलदार का आदेश दिनांक 12–10–10 यथावत रखा गया ।

अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी दायर हुई है ।

राजस्व मण्डल के प्रकरण में निगराकार क्रमांक 1 इन्द्रजीत की मृत्यु के परिणामस्वरूप दिनांक 19–8–15 को उनकी मृत्यु की जानकारी दी जाकर उनके उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लिया जाने का निवेदन किया गया है, जो प्रकरण दो बार अंतिम तर्क हेतु नियत होने तथा इन्द्रजीत की मृत्यु के 2 वर्ष 5 माह बाद किया गया है । इस प्रकार संभवतः इन्द्रजीत की मृत्यु यह प्रकरण राजस्व मण्डल में दायर होने के आसपास हुई होगी, किन्तु प्रकरण में अनेक पेशियों पर उपस्थिति के बावजूद उनकी मृत्यु की जानकारी दी जाना और यह जानकारी 'अंतिम तर्क' हेतु नियत तीसरी तारीख को दी जाना इस बात की ओर इशारा करती है कि पक्षकार प्रकरण के शीघ्र निराकरण में पर्याप्त रूचि न रखकर विलम्बित करने का प्रयास कर रहे हैं । पेशी दिनांक 19–8–15 को भी इन्द्रजीत के उत्तराधिकारियों के संबंध में पूरी तरह स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है । वैसे भी प्रकरण में निर्णय का जो प्रभाव इन्द्रजीत पर पड़ता वही उनके विधिक वारिसों पर भी पड़ेगा । अतः न्यायहित में पेशी दिनांक 19–8–15 को बताए अनुसार इन्द्रजीत के सभी विधिक वारिसों को प्रकरण में संयोजित किया जाता है और प्रकरण में एतद द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जाता है ।

3/ प्रकरण में मुख्य विचार योग्य बिन्दु निम्नानुसार प्रकट होते हैं :–

(1) विषयांकित कृप दोनों पक्षों की भूमियों पर बना है या सिर्फ इन्द्रजीत के पक्ष की भूमि पर ।

(2) 13–3–71 के इकरारनामे एवं ग्रामीणो के समक्ष के 4–2–10 के समझौते का प्रकरण पर क्या प्रभाव है ।

(3) किसी पक्षकार द्वारा अपनी भूमि पर किये जाने वाले निर्माण/गतिविधि से सीमावर्ती भूमि से संबंधित अन्य व्यक्ति के हित अथवा सुधाधिकार प्रभावित होने की स्थिति में किस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए ।

4/ उपरोक्त तीनों वाद बिन्दुओं पर मैं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–11 में सम्मिलित निष्कर्षो को एक बार दोहराता हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि कूप इन्द्रजीत के पक्ष की भूमि पर बना है, अतः अपनी आराजी की भूमि पर इन्द्रजीत के पक्ष को सुखाचार का प्रबंधन करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, किन्तु उन्हें (इन्द्रजीत आदि को) इस बात के लिए स्वतंत्र भी नहीं किया जा सकता कि उनके किसी निर्माण/गतिविधि से अन्य व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाए । साथ ही, उन्होंने तहसीलदार के आदेश की इन्द्रजीत आदि द्वारा अवहेलना को उचित नहीं ठहराया । इन निष्कर्षों के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को निर्देश देते हुए प्रत्यावर्तित किया है । पैरा तीन के तीनों बिन्दुओं के संबंध में मैं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के इन निष्कर्षों को स्पष्ट, सटीक एवं सही पाता हूँ एवं स्थिर रखता हूँ । साथ ही अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 6–10–12 को जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि "उभयपक्ष के पूर्वजों ने जो वचनबद्धता एवं आपसी मधुरता से निर्णय लेकर कुआं बनाया उसे बनाये रखा जाना चाहिए", को अस्पष्ट एवं समुचित विधिक आधार के बगैर पाने से अपास्त करता हूँ। साथ ही यह निर्देश भी देता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के साथ तहसीलदार को उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, तहसीलदार, इस आदेश की उनको संसूचना के अधिकतम तीन माह के भीतर उभयपक्ष को समुचित पक्ष समर्थन का

निग0प्र0क0 1338–दो / 13

अवसर देते हुए एवं अभिलेख और मौके की स्थिति के प्रकाश में नए सिरे से बोलता हुआ निर्णय पारित करें ।

प्रकरण समाप्त ।
पक्षकार सूचित हों ।
अभिलेख वापस हो ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर